"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 384]   रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त 2013—भाद्र 7, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2013

सूचना

क्रमांक 2771/1221/आठ-परि./2013.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम, 1991 की धारा 23 के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रथम अनुसूची में "प्रक्रम वाहनों" के कर की दरों में युक्ति-युक्त करण एवं प्रक्रिया को सरलीकरण करने की दृष्टि से एवं प्रक्रम वाहन संचालकों पर करों का अधिक भार न पड़े, इस आशय से संशोधन करने का विचार कर रही है.

अत: राज्य शासन एतंद्द्वारा संबंधित व्यक्तियों को उक्त धारा की अपेक्षा के अनुसार सूचना देने के उद्देश्य से यह सूचना जारी कर रही है, ताकि उक्त अनुसार प्रथम अनुसूची में संशोधन को अंतिम रूप से प्रकाशित किया जा सके.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.